

प्राक्कथन—यह सर्वविदित है कि मानवीय आवश्यकताएँ अनन्त हैं, जबकि पूर्ति के साधन सीमित हैं। इन सीमित साधनों से कोई भी व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उसका प्रयत्न सदैव यह रहता है कि वह अपनी सीमित आय का प्रयोग इस प्रकार करे कि उसे अधिकतम सन्तुष्टि (Maximum satisfaction) प्राप्त हो सके। इसके लिये उसे यह निर्णय लेना होता है कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति वह पहले करे और किन की बाद में। जैसा कि हम जानते हैं कुछ आवश्यकताओं की तीव्रता (Intensity) में अन्तर पाया जाता है। कुछ आवश्यकताओं की तीव्रता अधिक होती है, तो कुछ की कम। अधिकतम सन्तुष्टि की प्राप्ति हेतु वह अधिक तीव्र आवश्यकता की पूर्ति पहले करता है और कम तीव्र आवश्यकता की पूर्ति बाद में।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसे अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। उपभोक्ता, सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का अनुसरण कर अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त कर सकता है।

वस्तुतः सम-सीमान्त उपयोगिता नियम सीमान्त उपयोगिता हास नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जैसे-जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग बढ़ाता जाता है वैसे-वैसे उस वस्तु से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है। ऐसी स्थिति में उसे दूसरी वस्तु की आवश्यकता अधिक तीव्र प्रतीत होने लगती है। ऐसा अनुभव करते ही वह अपने साधन (आय) को कम लाभदायक प्रयोग से अधिक लाभदायक प्रयोग में हस्तान्तरित कर देता है। दूसरे शब्दों में, कम लाभदायक वस्तु के स्थान पर अधिक लाभदायक वस्तु का प्रतिस्थापन करने लगता है। वह ऐसा तब तक करता जाता है जब तक कि विभिन्न वस्तुओं पर खर्च की गयी मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। चूँकि उपभोक्ता अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिये एक वस्तु का प्रतिस्थापन (Substitution) दूसरी से तथा दूसरी का तीसरी से करता है, अतः इस नियम को प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। इस नियम को विभिन्न नामों से जाना जाता है; जैसे—अधिकतम सन्तुष्टि का नियम (Law of maximum satisfaction), उपभोक्ता सन्तुलन का नियम (Law of Consumer's equilibrium), तटस्थता का नियम (Law of Indifference), आनुपातिकता का नियम (Law of Proportionate) इत्यादि। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम गोसेन (Gossen) ने किया था अतः इसे गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। चूँकि इस नियम के पूर्व गोसेन ने सीमान्त उपयोगिता हास नियम का प्रतिपादन किया था, अतः इसे गोसेन का दूसरा नियम कहा जाता है।

इस नियम की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी हैं जो निम्नलिखित हैं :

1. प्रो. मार्शल के अनुसार, "यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है, तो उसे वह विभिन्न प्रयोगों के बीच इस प्रकार बाँटेगा ताकि सभी प्रयोगों से इसकी सीमान्त उपयोगिता बराबर रहे।"

"If a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that he has the same marginal utility in all."

—Marshall

2. प्रो. हिक्स के अनुसार, "उपयोगिता तभी अधिकतम हो सकती है जबकि प्रत्येक दशा में व्यय की सीमान्त इकाई से समान उपयोगिता प्राप्त हो।"

"Utility can be maximum only when equal utility is received from the marginal unit of expenses in all the cases." —Hicks

मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त होती हैं। इसके विपरीत साधन सीमित होते हैं और जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। अनन्त आवश्यकताओं में कुछ आवश्यकताएँ अधिक तीव्र होती हैं और कुछ कम तीव्र। जो आवश्यकताएँ अधिक तीव्र होती हैं, पहले उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार सीमित साधनों का प्रयोग आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर किया जायेगा। मनुष्य अधिक तीव्र आवश्यकताओं के बीच अपने सीमित साधनों को इस प्रकार बाँटेगा कि सभी वस्तुओं से उसे समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो, तभी उसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सकती है जो कि प्रत्येक उपभोक्ता का उद्देश्य होता है। मान लीजिए दो वस्तुएँ चावल एवं दाल हैं। इन दोनों वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी सीमित आय का प्रयोग करता है। वह सीमित साधन को इन दोनों वस्तुओं पर इस प्रकार बाँटेगा जिससे दोनों वस्तुओं की सीमान्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता बराबर हो। यदि चावल से उसे कम सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो रही है तथा दाल से अधिक तो वह चावल (कम उपयोगिता वाली वस्तु) की जगह पर दाल का प्रतिस्थापन का प्रयोग करेगा। प्रतिस्थापन की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों वस्तुओं से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता बराबर नहीं हो जाये। ऐसा वह अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करता है।

नियम के आधार (BASIS OF THE LAW)

वस्तुतः चुनाव की समस्या ही सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का आधार है। इस नियम के मुख्य आधार निम्न हैं :

- (i) आवश्यकताएँ अनन्त होती हैं।
- (ii) कुछ आवश्यकताओं की तीव्रता अधिक होती है।
- (iii) साधन सीमित होते हैं।
- (iv) साधनों का वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है।
- (v) अतः सीमित साधनों की तीव्र आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है जिससे कि अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त की जा सके।

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की व्याख्या

(EXPLANATION OF THE LAW OF EQUI-MARGINAL UTILITY)

मान लें कि किसी उपभोक्ता के पास 6 रु. हैं। वह इन 6 रुपयों से आम सेव तथा सन्तरा खरीदना चाहता है। यह भी मान लें कि उसके खर्च की इकाई 1 रु. प्रति वस्तु है। इसे तालिका द्वारा निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है :

तालिका

रुपये की इकाइयाँ	आम	सेव	सन्तरा
20 (i)	14 (iii)	10 (iv)	
16 (ii)	10 (vi)	8	
10 (v)	8	6	
8	7	5	
5	4	3	
3	3	2	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता जैसे-जैसे आम, सेव तथा सन्तरा की उतरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करता जाता है, प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है। चूंकि उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग विवेकपूर्ण ढंग से करता है, अतः वह 6 रुपये को एक ही वस्तु (फल) पर प्रयोग नहीं करेगा बल्कि 6 रु. को आम, सेव तथा सन्तरा पर इस प्रकार खर्च करेगा कि उसे अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सके। इसके लिये वह अपने उपयोग को इस प्रकार निर्धारित करता है कि तीनों वस्तुओं (फलों) से प्राप्त सीमान्त उपयोगिताएँ एक-दूसरे के बराबर हों। तालिका से स्पष्ट है कि वह रुपये की प्रथम एवं द्वितीय इकाई का प्रयोग आम पर करता है क्योंकि उसे रुपये की प्रथम एवं द्वितीय इकाई के प्रयोग से क्रमशः 20 रु. एवं 16 रु. के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। रुपये की तीसरी इकाई का प्रयोग वह आम से हटाकर सेव पर करता है क्योंकि ऐसा करने से उसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। यदि वह तीसरी इकाई (रु. का) का प्रयोग भी आम ही पर करता तो उसे 10 रु. के बराबर उपयोगिता मिलती। किन्तु सेव पर प्रयोग करने से उसे 14 रु. के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है जोकि 10 रु. से अधिक है। इसी प्रकार रुपये की चौथी इकाई का प्रयोग सन्तरा पर, पाँचवीं का पुनः आम पर तथा छठी इकाई का सेव पर प्रतिस्थापित करता जाता है। इस प्रकार उसे तीनों फलों से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता बराबर हो जाती है और वह अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने की स्थिति में होता है। उपरोक्त तालिका के आधार पर उपभोक्ता को कुल प्राप्त उपयोगिता होगी :


रुपये की इकाइयाँ	वस्तु का नाम	प्राप्त उपयोगिता (रु. में)
1	आम	20
2	आम	16
3	सेव	14
4	सन्तरा	10
5	आम	10
6	सेव	10
		80 रु. = कुल प्राप्त उपयोगिता

पुनः यह मान लिया जाय कि उपभोक्ता अपने विवेक का प्रयोग किये बिना ही वस्तुओं के उपभोग पर व्यय करता है, अर्थात् 6 रु. को या तो आम पर या सेव पर या सन्तरा पर ही व्यय करता है, तो उसे प्राप्त होने वाली उपयोगिताएँ इस प्रकार होंगी :

क्रमांक	फलों से प्राप्त उपयोगितायें		
	आम (रु.)	सेव (रु.)	सन्तरा (रु.)
1	20	14	10
2	16	10	8
3	10	8	6
4	8	7	5
5	5	4	2
6	3	2	1
कुल उपयोगिता	62 रु.	45 रु.	32 रु.

अतः केवल आम के प्रयोग से उपयोगिता की हानि = 80 रु. - 62 रु. = 18 रु.
 केवल सेव के प्रयोग से उपयोगिता की हानि = 80 रु. - 45 रु. = 35 रु.
 केवल सन्तरा के प्रयोग से उपयोगिता की हानि = 80 रु. - 32 रु. = 48 रु.

उपरोक्त तालिका को रेखाचित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जोकि निम्न-लिखित है :



उपरोक्त चित्र में OX-अक्ष पर वस्तु की इकाइयाँ तथा OY-अक्ष पर सीमान्त उपयोगिता को दिखाया गया है। AB सीमान्त उपयोगिता बिन्दु की रेखा है। उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता 3 रु. आम पर, 2 रु. सेव पर तथा 1 रु. संतरा पर व्यय करेगा तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि उसी बिन्दु पर तीनों वस्तुओं से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता एक-दूसरे के बराबर है।